न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2019

आर.सी.एम.एस. : 2019/00019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
माधो सिंह पुत्र नैनसिंह जाति पुरोहित निवासी विंगरला, तहसील रानी जिला पाली		राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता निखिल व्यास

रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 22.06.22

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रानी के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 32/2018 सरकार बनाम माधोसिंह में पारित निर्णय दिनांक 30.10.2018 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का वरकाणा ने अपीलाण्ट को ग्राम विंगरला के खसरा नम्बर 246 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बा.दो (गोचर) भूमि पर बाड़ा बनाकर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट बनाकर अधीनस्थ न्यायालय में पेश की, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 32/2018 दर्ज कर, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु दिनांक 30.10.2018 का पटवार भवन वरकाणा में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया। मातहत अदालत ने दिनांक 30.10.2018 को अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस प्रोपर तामील प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी, उसी दिवस अपीलाण्ट को अनुपस्थित मानते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया जाकर अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास जैसे कठोर दण्ड से तथा अतिक्रमित आराजी से बेदखली के आदेश के साथ ही 50/– रूपये जुर्माना अधिरोपित कर दण्डित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। जैर अपील आदेश पारित करने से पूर्व मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को सुनवाई का पुरा अवसर प्रदान नहीं किया, जबकि किसी व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय पारित करने से पूर्व उसे सुनवाई का पुरा अवसर दिये जाने के आज्ञापक प्रावधान है। जैर अपील आराजी पर अपीलाण्ट ने कभी भी पूर्व में अतिक्रमण नहीं किया है, फिर भी अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

अतिक्रमी घोषित किया गया है तथा अपीलाण्ट के नाम जारी नोटिस में पूर्व में उसने किस वर्ष अतिचार किया, इसका अंकन नहीं है। अपीलाण्ट को जैर अपील आदेश दिनांक 30.10.2018 की जानकारी राजस्थान विधान सभा की चुनाव प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाने से दिनांक 04 जनवरी 2019 को हुई, तब दिनांक 05.01.2019 को प्रमाणित प्रतिलिपी के लिए आवेदन किया, जिस पर प्रार्थी को दिनांक 29 जनवरी 2019 को प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त होते ही अपील न्यायालय में पेश कर दी। अतः अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरमाकर, जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जैर निगरानी आराजी पर पुर्व में अतिक्रमण किया था, जिस पर हल्का पटवारी वरकाणा, भू. अ. निरीक्षक बिजोवा, अपीलाण्ट स्वयं एवं मौतबिरान की उपस्थित में दिनांक 09.08.2018 को जैर अपील आराजी से बेदखल किया गया तथा इसके पश्चात अपीलाण्ट द्वारा पुनः जैर अपील आराजी पर अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी वरकाणा की इसकी टी.पी. रिपोर्ट मातहत अदालत में पेश की, जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए मातहत अदालत ने अपीलाण्ट के विरूद्ध जो आदेश पारित किया है। वह विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश की जानकारी अप्रार्थी को 29.10.2019 को प्रमाणित प्रति लेने पर होने के कारण न्याय की दृष्टि से अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना न्यायोचित है। पटवारी हल्का विंगरला एवं भू.अ. निरीक्षक, बिजोवा ने दिनांक 09.08.2018 को अपीलाण्ट को ग्राम विंगरला के खसरा नम्बर 246 रकबा 0.06 हैक्टेयर किस्म बा.दो. (गोचर) भूमि पर वाड़ा बनाकर अतिक्रमण करने पर उसे मौतबिरानों की उपस्थिति में भौतिक रूप से बेदखल किया है। जिसकी ताईद पत्रावली संलग्न बेदखली फर्द से होती है। उसी आराजी पर अपीलाण्ट द्वारा पुनः संवत् 2075 में अतिक्रमण किए जाने से तहसीलदार रानी ने पटवारी हल्का वरकाणा की टी.पी. रिपोर्ट पर दिनांक 17.09.2018 को प्रकरण संख्या 32/2018 दर्ज कर अपीलाण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। जिस पर दिनांक 30.10.2018 को अपीलाण्ट अनुपस्थित रहने से उसके द्वारा किया गया अतिचार, जो पश्चातवर्ती अतिचार की श्रेणी में आने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(3) के तहत जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखली के साथ 50/–रूपये जुर्माने एवं तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अपीलाण्ट ने पूर्व में भी अतिक्रमण किया था तथा उसे भौतिक रूप से बेदखल किया गया था, इसके बावजूद भी अपीलाण्ट द्वारा पुनः जैर अपील आराजी पर मात्र एक माह के पश्चात ही अतिक्रमण किया है, जिससे मातहत अदालत ने अपीलाण्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए, जैर अपील आदेश पारित किया है तथा उपरोक्त सभी तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट एक आदतन अतिचारी है तथा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही विधि सम्मत है। अपीलाण्ट ने एक शपथ पत्र भी मातहत अदालत के समक्ष पेश कर निवेदन किया कि ग्राम विगंरला के खसरा नम्बर 246 रकबा 0.06 हैक्टर किस्म बारानी दोयम गोचर पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

अति॰ जिला कलक्टर, पाली

पूर्व मे ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मुझे पटटा दिया गया था, लेकिन बाद नाप चौप करने पर जानकारी हुई की उक्त भूमि गौचर है। जिस पर से मेने अपना कब्जा हटा लिया है। अपीलाण्ट का वर्तमान में जैर अपील आराजी पर कब्जा नहीं है तथा भविष्य में किसी भी राजकीय आराजी पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत उसने शपथ पत्र भी दिया है। अपीलाण्ट ग्रामीण एवं पशुपालक व्यक्ति होने के कारण इस अदालत द्वारा उसके प्रति नरम रूख अपनाते हुए निर्णय पारित किया जाता है।

परिणाम स्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध पारित तीन माह के सिविल कारावास के आदेश को अपास्त किया जाता है तथा मातहत अदालत द्वारा पारित जुर्माना एवं आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने के आदेश को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार रानी को निर्णय की प्रति उनकी मूल पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22.06.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राजस्थान)

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली